

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

या :- 8 / 2021 प्रप फु

इन जाग 510 इण्डिया फावकिली मि 0 लाइकस - 250/251

प्रार्थी.....

बनाम

00 सरकार जमीने तहसील करेडा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 3/12/21

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत

किया कि ग्राम लाइसास.. पटवार हल्का लाइसास.. तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त  
खाता संख्या..... आराजी नम्बर 2674/2 2687 3281/2831 2674/8 2777/1  
0-2523 / 0-3667 / 0-8034 / 0-1265 / 0-2523 /  
686  
2782/

कुल किता 6 रकबा 2.0762

में स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने  
न सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की  
पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3/12/21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी  
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी  
देंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते  
प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....

लाइसास पटवार हल्का लाइसास तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या  
नम्बर 2674/2 2687 3281/2831 2674/8 2777/1 2686  
0-2523 / 0-3667 / 0-8034 / 0-1265 / 0-2523 / 0-2782/

कुल किता 6 रकबा 2.0762

प्रार्थी भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-  
नेरीक्षक को 800/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया  
कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की  
में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर  
की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभाषी अधि...

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा



तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा